संख्या- 220 /2026/ 3147 /चार-2026- 1859349

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक : 06 नवम्बर, 2026**

विषय:- अयोध्या में दीपोत्सव-2026 में कराये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं कार्यक्रम की अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 2194/सं0नि0-15(65)/2026-27, दिनांक 31 अक्टूबर, 2026 व पत्र संख्या- 2124/सं0नि0-15(65)/2026-27, दिनांक 24 अक्टूबर, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री अयोध्या धाम में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में संस्कृति विभाग द्वारा गत वर्षों की भांति सम्पूर्ण अयोध्या धाम में प्रदेश एवं देश के कलाकारों के माध्यम से दिनांक 05 से 07 नवम्बर, 2026 तक भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां करायी जानी हैं। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले विदेशी रामलीला दलों की व्यवस्थाएं एवं अन्य कलाकारों के मानदेय एवं आवास/भोजन, स्थानीय यातायात आदि पर होने वाले व्यय का विवरण निम्नवत उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0	मद का नाम	अनुमानित धनराशि (रू0 लाख में)
1.	दिनांक 05 से 07 नवम्बर, 2026 तक अयोध्या धाम में दीपोत्सव-2026 के अवसर पर शहर में निर्मित विभिन्न मंचों एवं शोभा यात्रा में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां करने वाले विभिन्न प्रदेशों एवं उत्तर प्रदेश के कलाकारों एवं कोरियोग्राफर के मानदेय पर होने वाला व्यय	150.00
2.	विदेशी रामलीला दलो के कलाकारों के आवास/भोजन पर व्यय	35.00
3.	विदेशी रामलीला दल कलाकारों के यातायात पर व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।	9.50
4.	लोक कलाकारों, अन्य प्रदेशों के कलाकारों एवं मंचीय कलाकारों के आवास एवं भोजन पर व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।	45.50 (04 दिवस हेतु) 37.50 (03 दिवस हेतु)
5.	लोक कलाकारों, अन्य प्रदेशों के कलाकारों एवं मंचीय कलाकारों के स्थानीय यातायात पर व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।	12.50
6.	अयोध्या धाम में मंच, पंडाल, ध्वनि, प्रकाश एवं जनरेटर इत्यादि पर होने वाला व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।	43.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

7.	कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार, बैकड्राप, स्टैण्डी, बैनर, कलाकारों की आई0डी0 एवं पोस्टर इत्यादि पर व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।	6.50
8.	कलाकारों के प्रस्तुति के दौरान सूक्ष्म जलपान एवं कलाकारों के बैक स्टेज एवं विविध व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।	15.50
9.	03 दिवसीय कार्यक्रम में 25 वॉलिन्टियर/ उद्घोषक के मानदेय पर व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।	2.50
10.	कार्यक्रम की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी पर व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी एवं अभिलेखीकरण	3.50
11.	कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले विदेशी कलाकारों एवं अन्य प्रदेश के कलाकारों, प्रदेश के कलाकारों तथा अतिथियों हेतु मोमेन्टो, अंगवस्त्र एवं प्रमाण पत्र आदि पर व्यय प्रस्ताव अनुमानित। वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। (कार्ड, ब्रोसर, आदि)	5.50
12.	चित्रकला एवं म्यूरल्स प्रदर्शनी पर व्यय	2.00
13.	रामायण प्रसंगों पर आधारित प्रदर्शनी पर व्यय	3.50
14.	अन्तर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान की प्रदर्शनी पर व्यय	2.00
15.	अन्य/विविध व्यय	7.50
	योग-	**381.50**

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार अयोध्या में दीपोत्सव-2026 में कराये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं कार्यक्रम की अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय **रू0 381.50 लाख (रूपये तीन करोड़ इक्यासी लाख पचास हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

<u>शर्तें / प्रतिबंध:-</u>

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001- निदेशन एवं प्रशासन -03- संस्कृति निदेशालय -42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।